

आदेश

निसामी पदाधिकारी का न्यायालय चास

श्री एल. पी. पी. कासब

नोकान पत्र पराधिकारी

आदेश एवं हस्ताक्षर

प्रबन्धक  
बनाम

श्री- एल. पी. पी. कासब

7/90/91

क्रमां.	तिथि		
1	2	3	

5/10/91

809/05.06

प्रबन्धक, ...  
शाखा बनबाद, अपने विद्वान अधिवक्ता/श्री एस० एम० राय ने अपने अधि-  
पत्र संख्या ... द्वारा देनदार ...  
के विरुद्ध बकाया राशि ... वसूल हेतु  
अधियाचन पत्र दाखिल किया गया है। इनके द्वारा एक आवेदन भी  
दाखिल किया गया है जिसमें ... दाखिल करने वास्ते समय की मांग  
की गयी है।

अधियाचन पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से बसूली  
योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध धारा ७ पी० डी० आर० ऐक्ट के अधीन  
विधिवत सूचना जारी करें। विद्वान अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है  
कि "कोर्ट फी" अविलम्ब प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करें। सूचना  
के ताबिल्ला प्रतिवेदन के साथ दिनांक ...  
को प्रस्तुत करें। गारण्टर को भी सूचित करें।

13-12-90

C.F.R.S - 170 (एक सौ - सतर) 60-  
का कोर्ट फी दाखिल किया है।

निसामी पद०  
चास।

27-4-91

11-6-91

सूचना का ताबिल्ला प्राप्त हुआ है तथा 3-  
कोर्ट आपाई दाखिल नहीं किया गया।  
अधियाचन राशि का निसामी पत्र सजुस्त  
किया जाता है प्रसूती हेतु कुकीजों  
वारं 2 बजारे को 16 दिनांक 20.8.91 को रखा।

ली 20/10/91  
20/10/91

20/10/91

50/9/91

761  
27-10-90

Disposed  
Date  
08/07/2017

2/10/91

31/10/91

63/28.8.91

आदेश पत्र

B.C.C. No 337/9091

मुख्य न्यायाधीश, चास के आदेश 936 दिनांक 27-7-91 में निहित आदेश के आलोक में इस प्रमाण पत्र मुकदमा को जोधपुर जिला में स्थानान्तरण करने हेतु मूल न्याय में अनुमति का निर्णय, चास में भेजा जाता है।

निलाम पत्र पदाधिकारी  
चास।

प्रभारी पदाधिकारी, जोधपुर शाखा जोधपुर के आदेश 57/गो0 दिनांक 15-6-91 एवं उपायुक्त, धनबाद के आदेश 73 दिनांक 18-7-91 में निहित आदेश के आलोक में इस निलाम पत्र मुकदमा को जिला स्तर पर निष्काशन करने हेतु उप समावर्ती प्रभारी, जिला प्रमाण पत्र शाखा, जोधपुर के पास अग्रेतर कारवाई हेतु मूल में भेजा जाता है।

मुख्य न्यायाधीश  
निलाम पत्र पदाधिकारी,  
चास।

मुख्य न्यायाधीश, चास के आदेश 1000  
आदेश दिनांक 15-6-91 एवं उपायुक्त, जोधपुर  
के आदेश दिनांक 18-7-91  
आस के आदेश दिनांक 18-7-91 हेतु मूल न्याय।  
इसे पत्र के माध्यम से न्याय में भेजा जा रहा है।  
दिनांक 8-10-91

निलाम पत्र पदाधिकारी  
जोधपुर शाखा

8-10-91

कां० ८६ के निलाम पत्र पदाधिकारी, जोधपुर  
दिनांक 14-11-91 को भेजा जा रहा है।

131  
21-10-91

28-8-92

गो० का निलाम पत्र पदाधिकारी, जोधपुर  
कां० 30/11/92 को भेजा जा रहा है।

63  
28-8-92

51/92/92

22-2-93. आमेकाले भण्डि सेलुट किला गिला।  
जही कुमी वरिंट का. लामेला सतिवद  
देखा। इसे वदे से कोवि खुली नहीं है,  
गोप्य वसली का प्रलाक करे। उत।  
जहा कुमी वरिंट से। 11.6.25-93  
को वरिंट

148  
1-3-93

पु. प्र. प्र.  
मो. प्र.

11-7-94 **CASE TRANSFERD TO**  
Sd/- S. N. Sahay, Executive  
Magistrate, CHAS  
By order D. C. Bokaro  
Memo No. 640 Dt. 24-6-94

Certificate Officer  
**BOKARO**

XIV From No. 44

# FORM No. 1,

CERTIFICATE OF PUBLIC DEMAND FILLED IN THE OFFICE OF THE CERTIFICATE  
 OFFICER OF Chas.  
 Section 4 and 6 of the Bihar and Orissa Act IV of 1914)

No. of Certificate	Name and address of Certificate holder	Name and Address of the certificate debtor	Amount of Public demand (including interest if any including the fee paid under Sec 5 Sub Sec (2) if any) for which this Certificate is signed and period for which such demand is due	Further Particular of the Public demand for which this certificate Signed
1	2	3	4	5
90-91	State Bank of India Natundih Dhanbad.	Subodh Das S/o late Foti Das will. Kusumkiary P.O. & P.S. Chandankiary Dist. Dhanbad.	Rs. 1582.55 (Rupees one thousand five hundred eighty two and paise fifty five only) + further accured interest with quarterly rest w.e.f. 1.10.90 + other misc. exp.	

EMARKS

7

For State Bank of India

श्रीमान ब्रजेश्वर, नाटुंडी शाखा  
 Br. Manager, Natundih Br.

Certificate officer

I hereby certify that the above mentioned sum Rs. 1582.55 is due to the above named C. dr. from the above named. ( if the certificate is Signed on requisition sent under section 5 and ) I further certify that the above named sum of Rs. 1582.55 is mostly recoverable and that its recovery suit is not Barred by law. Dated this 5 day of 10 19 90.